नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प07(36)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांक 19.3.2002

आदेश

इस विभाग के परिपत्र संख्या एफ.6(19)नविवि/89 दिनांक 13.12.2001 के द्वारा अवाप्त शुदा भूमि के बदले 15 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे, जिसमें एक शर्त यह भी लगायी गयी थी कि अवाप्त शुदा भूमि के बदले में दी जाने वाली भूमि विकसित आवासीय भूमि ही होगी, वाणिज्यिक नहीं। राज्य सरकार द्वारा उक्त शर्त पर पुनर्विचार करके यह निर्णय लिया गया है कि अवाप्त शुदा भूमि चाहे वाणिज्यिक/संस्थानिक या औद्योगिक प्रयोजनार्थ या अन्य प्रयोजनार्थ अवाप्त की गई हो तथा मास्टर प्लान में उक्त क्षेत्र का कोई भी भू-उपयोग हो, संबंधित खातेदार को यथासम्भव उसी भूमि भूमि में से 15 प्रतिशत विकसित भूमि आवासीय उपयोग हेतु आवंटित की जा सकती है। आवासीय भूमि के आवंटन के पश्चात आवंटी वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन/रूपान्तरण प्रचलित नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन कराने को स्वतंत्र होगा।

(बी.डी.गुप्ता)
उप शासनसचिव

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, मा०मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, समस्त मंत्रीगण। न.वि.नि
3. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासनसचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त जिला कलेक्टर-कृपया सभी भूमि अवाप्ति अधिकारियों को सूचित करें।
8. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण।
9. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग-समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करें।
12. समस्त सचिव, नगर विकास न्यास।

उप शासनसचिव